पंजीकरण - सामान्य निर्देश

ZIET मैसूर द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, इंडक्शन कोर्स, ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा अन्य क्षमता-वर्धन कार्यक्रम **केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कैलेंडर एवं जारी निर्देशों** के अनुसार आयोजित किए जाते हैं।

1. प्रतिभागियों का नामांकन

- कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिभागियों का नामांकन संबंधित **KVS क्षेत्रीय कार्यालयों** द्वारा किया जाता है।
- किसी कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारी **अपने विद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।**
- ZIET मैसूर में व्यक्तिगत रूप से सीधे पंजीकरण कराने की सामान्यतः आवश्यकता नहीं है।

2. प्रतिनियुक्ति

- अनुमोदित नामांकन प्राप्त होने के बाद **ZIET मैसूर द्वारा नामांकित प्रतिभागियों के लिए आवश्यक प्रतिनियुक्ति/कार्य-मुक्ति संबंधी निर्देश** जारी किए जाते हैं।
- प्रतिभागियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक प्रतिनियुक्ति/नामांकन के अनुसार ही कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए।

3. प्रतिभागिता की पुष्टि

- नामांकित प्रतिभागियों को ZIET मैसूर अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी प्रतिभागिता की पुष्टि करनी होगी।
- प्रतिभागिता में किसी प्रकार का परिवर्तन, कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थता अथवा अन्य किसी कठिनाई की सूचना यथाशीघ्र उचित माध्यम से दी जानी चाहिए।

4. कार्यक्रम संबंधी जानकारी

कार्यक्रम की तिथि, स्थान, लक्षित समूह, अवधि तथा अन्य आवश्यक निर्देशों की जानकारी **ZIET मैसूर/KVS क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी आधिकारिक पत्राचार** के माध्यम से दी जाएगी।

5. महत्वपूर्ण सूचना

जिन कार्यक्रमों के लिए नामांकन **KVS क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, उनके लिए ZIET मैसूर द्वारा सामान्यतः व्यक्तिगत सीधे नामांकन स्वीकार नहीं किए जाते हैं।** प्रतिभागियों को निर्धारित नामांकन एवं प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया का पालन करना चाहिए तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से **अपने विद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से** संपर्क करना चाहिए।